

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 7 जनवरी 2013—पौष 17, शक 1934

सामाजिक न्याय विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2013

संशोधित अधिसूचना

क्र. एफ 2-13-2011-छब्बीस-1.—इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्र. एफ 2-13-2011-छब्बीस-1, भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर, 2012 में कुछ टंकण त्रुटि होने के कारण उक्त अधिसूचना की अनुसूची "एक" में उल्लेखित एक विभाग की स्थापना में अनुसूची "दो" में दी गई संशोधित विशिष्टियों के अनुसार निःशक्त व्यक्तियों के आरक्षण हेतु पदों का चिन्हांकन किया जाता है:—

अनुसूची "एक"

1. गृह विभाग

व्ही. के. बाथम, सचिव.

अनुसूची "दो"

निःशक्तजनों के लिये चिन्हांकन मध्यप्रदेश शासन, गृह पुलिस विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
विभागाध्यक्ष का नाम—कार्यालय, मेडिकोलीगल इन्स्टीट्यूट, गृह पुलिस विभाग, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल, मध्यप्रदेश.

श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम	सीधी भरती के स्वीकृत पद	योग	पदों की संख्या कुल योग (6%)	चिन्हांकित पद/संवर्ग एवं संख्या			योग 6+7+8	यदि किसी संवर्ग में किसी श्रेणी से छूट आवश्यक हो तो उसकी टीप
					अस्थि बाधित	दृष्टि बाधित	श्रवण बाधित		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
द्वितीय श्रेणी	मेडिकल आफीसर	—	—	—	—	—	—	—	
(अ)	मेडिकल	7	7	—	—	—	—	—	6% के मान से आरक्षण नहीं बनता
(ब)	नान मेडिकल	4	4	—	—	—	—	—	6% के मान से आरक्षण नहीं बनता
	योग . .	11	11	—	—	—	—	—	
तृतीय श्रेणी	शीघ्र लेखक सहायक ग्रेड-3	2	2	—	—	—	—	—	6% के मान से आरक्षण नहीं बनता
	प्रयो. सहायक फोटोग्राफर	2	2	1	1	—	—	1	आंशिक रूप से अस्थि बाधित के लिए
	वाहन चालक	1	1	—	—	—	—	—	6% के मान से आरक्षण नहीं बनता
	योग . .	8	8	—	—	—	—	—	
चतुर्थ श्रेणी	प्रयो. परिचारक	2	2	—	—	—	—	—	6% के मान से आरक्षण नहीं बनता
	भृत्य	5	5	—	—	—	—	—	6% के मान से आरक्षण नहीं बनता
	स्वीपर	4	4	—	—	—	—	—	6% के मान से आरक्षण नहीं बनता
	योग . .	11	11	—	—	—	—	—	
जिलाध्यक्ष दर	स्वीपर	2	2	—	—	—	—	—	6% के मान से आरक्षण नहीं बनता
	चौकीदार	1	1	—	—	—	—	—	6% के मान से आरक्षण नहीं बनता
	योग . .	3	3	1	1	—	—	1	
	महायोग . .	33	33	1	1	—	—	1	आंशिक रूप से अस्थि बाधित के लिए

हस्ता/-
संचालक,
मेडिकोलीगल संस्थान, म. प्र., भोपाल.